न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 133 सन 2018

अनवान :–

1. प्रहलाद पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. देवीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर ।
2. कमलादेवी पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. प्रार्वती पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. शाखा प्रबन्धक महोदय आईसीआईसी बैक शाखा जसाना तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय खूईया तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता सायल

श्री महेश चन्द्र शर्मा गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 01/03/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 76/80 की कुल 3.542हैक रोही मौजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 38/86 की कुल 7.4000हैक व रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 70/78 की कुल 37950हैक व खाता संख्या 71/76 की कुल 1.2650हैक भूमि जिसके पूर्व में सायल के दादा इन्द्राज पुत्र मुखराम खातेदार काश्तकार थे।

वादी के दादा इन्द्राज पुत्र मुखराम के के देहान्त होने पर उनके दो पुत्रों देवीलाल एवं भूपसिह पर वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है।

गैरसायल न0 1 के नाम बतौर कर्ताहिन्दु खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात उक्त भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक अधिकार है जिसकी वाद न्यायालय से धोषणा करवाने का अधिकारी है।

गेरसायल न0 2 ,3 सायल की बहिने है एवं गैरसायल न0 1 की पुत्री है जिनकी शादी हो चुकी है जिन्होने अपने हक हिस्सा मौखिक तौर से सायल व गैरसायल न0 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि सायल एवं गैरसायल न0 1 का बराबर का हक हिस्सा होगा यही न्यायालय से धोषणा करवाना चाहते है।

वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज रहने से गैरसायल न0 1 के मन में लालच आ गया है इसलिये गैरसायल न0 1 वाद भूमि को बेचान करना चाहता है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल अपने हकों से महरूम हो जावेगा और सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसालय न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 76/80 की कुल 3.542हैक रोही मौजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 38/86 की कुल 7.4000हैक व रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 70/78 की कुल 37950हैक व खाता संख्या 71/76 की कुल 1.2650हैक भूमि जो गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है को ताफैसला दावा रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे रिकार्ड एवं मोका की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल न0 2 ,3 को रजिस्टर सम्मन से तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई गैरसायल न0 4 ,5 की और से पेरोकार राज उपस्थित फोरमल पक्षकार होने के कारण जबाब की आवश्यकता नही एवं गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

वाद भूमि इन्द्राज पुत्र मुखराम की पैदाकरदा भूमि है जो इन्द्राज की मृत्यू के बाद उनके वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई अर्थात देवीलाल के नाम भूमि उनके पिता इन्द्राज के देहान्त होने पर राजस्व रिकार्ड में विरास्तन से दर्ज हुई है।

उपखण्ड अधिकारी

देवीलाल एवं भूपसिह की बहनों ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग देवीलाल गैरसायल न0 1 एवं भूपसिह के पक्ष में त्याग किया हुआ है जिसमें देवीलाल का हक हिस्सा है जिसमें अन्य किसी को हक हिस्सा पाने का अधिकार नही है।

इन्द्राज की खातेदारी भूमि में से देवीलाल का केवल 1/5 हिस्सा विरास्तन से आया है जबकि 3/5 हिस्सा तो भूपसिह एवं उसकी बहनों से प्राप्त हुआ है जिसमें किसी को किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकार नही है

अर्थात चक 19 एनटीआर की कुल 7.400हैक व चक 17 एनटीआर की कुल 3.795हैक व चक 17 एनटीआर की कुल 1.265हैक व चक 23 एनटीआर की कुल 3.542हैक भूमि जो इन्द्राज की देवीलाल व भूपसिह के साथ पैदा करदा भूमि थी जिसमें इन्द्राज की मृत्यू के पश्चात 1/5 ,1/5 हिस्सा पुत्र व पुत्रीयान के नाम दर्ज हुआ अर्थात कुल चारों चकों की 16.002हैक भूम में से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा था अर्थात देवीलाल का 3.2004हैक रेशमी देवी का 3.2004 हैक किताबों देवी का 3.2004हैक व दुर्गादेवी का 3.2004हैक का तीनों बहिनों ने उतरदाता व भूपसिह के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हिस्सा की दस्तवरदारी करवाई गई थी अर्थात देवीलाल को अपनी बहनों से 4.8006हैक भूमि प्राप्त हुई जिसमें अन्य किसी को किसी प्रकार का हक हिस्सा नही है अर्थात बहनों से प्राप्त भूमि पर देवीलाल अकेले का हक हिस्सा है।

सायल ने एक वाद इसी विषयवस्तु के साथ वाद संख्या 176/2006 इसी न्यायालय में पेश किया गया था जो लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर दिनांक 21.06.2018 को खारजी किया जा चुका है विधि अनुसार पुन इसी विषय वस्तु का कोई वाद पुनः पेश नही किया जा सकता है इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अपूर्णीय क्षति का बिन्दु गैरसायल न0 1 के पक्ष में है क्योकि उतरदाता वृद्व व्यक्ति है तथा सायल ने मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है जिसके विवाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है गैरसायल न0 1 को अपने हकों से महरूम कर रखा है।

गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सुन्तलन एवं अपुर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायल न0 1 के पक्ष में है इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 76/80 की कुल 3.542हैक रोही मौजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 38/86 की कुल 7.4000हैक व रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 70/78 की कुल 37950हैक व खाता संख्या 71/76 की कुल 1.2650हैक भूमि जिसके पूर्व में सायल के दादा इन्द्राज पुत्र मुखराम खातेदार काश्तकार थे।

वादी के दादा इन्द्राज पुत्र मुखराम के के देहान्त होने पर उनके दो पुत्रों देवीलाल एवं भूपसिह पर वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है।

गैरसायल न0 1 के नाम बतौर कर्ताहिन्दु खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात उक्त भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक अधिकार है जिसकी वाद न्यायालय से धोषणा करवाने का अधिकारी है।

गेरसायल न0 2 ,3 सायल की बहिने है एवं गैरसायल न0 1 की पुत्री है जिनकी शादी हो चुकी है जिन्होने अपने हक हिस्सा मौखिक तौर से सायल व गैरसायल न0 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि सायल एवं गैरसायल न0 1 का बराबर का हक हिस्सा होगा यही न्यायालय से धोषणा करवाना चाहते है।

वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज रहने से गैरसायल न0 1 के मन में लालच आ गया है इसलिये गैरसायल न0 1 वाद भूमि को बेचान करना चाहता है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल अपने हकों से महरूम हो जावेगा और सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसालय न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 76/80 की कुल 3.542हैक रोही मौजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 38/86 की कुल 7.4000हैक व रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 70/78 की कुल 37950हैक व खाता संख्या 71/76 की कुल 1.2650हैक भूमि जो गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है को ताफैसला दावा रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे रिकार्ड एवं मोका की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि इन्द्राज पुत्र मुखराम की पैदाकरदा भूमि है जो इन्द्राज की मृत्यू के बाद उनके वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई अर्थात

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

देवीलाल के नाम भूमि उनके पिता इन्द्राज के देहान्त होने पर राजस्व रिकार्ड में विरास्तन से दर्ज हुई है।

देवीलाल एवं भूपसिह की बहनों ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग देवीलाल गैरसायल न0 1 एवं भूपसिह के पक्ष में त्याग किया हुआ है जिसमें देवीलाल का हक हिस्सा है जिसमें अन्य किसी को हक हिस्सा पाने का अधिकार नही है।

इन्द्राज की खातेदारी भूमि में से देवीलाल का केवल 1/5 हिस्सा विरास्तन से आया है जबकि 3/5 हिस्सा तो भूपसिह एवं उसकी बहनों से प्राप्त हुआ है जिसमें किसी को किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकार नही है

अर्थात चक 19 एनटीआर की कुल 7.400हैक व चक 17 एनटीआर की कुल 3.795हैक व चक 17 एनटीआर की कुल 1.265हैक व चक 23 एनटीआर की कुल 3.542हैक भूमि जो इन्द्राज की देवीलाल व भूपसिह के साथ पैदा करदा भूमि थी जिसमें इन्द्राज की मृत्यू के पश्चात 1/5 ,1/5 हिस्सा पुत्र व पुत्रीयान के नाम दर्ज हुआ अर्थात कुल चारों चकों की 16.002हैक भूम में से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा था अर्थात देवीलाल का 3.2004हैक रेशमी देवी का 3.2004 हैक किताबों देवी का 3.2004हैक व दुर्गादेवी का 3.2004हैक का तीनों बहिनों ने उतरदाता व भूपसिह के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हिस्सा की दस्तवरदारी करवाई गई थी अर्थात देवीलाल को अपनी बहनों से 4.8006हैक भूमि प्राप्त हुई जिसमें अन्य किसी को किसी प्रकार का हक हिस्सा नही है अर्थात बहनों से प्राप्त भूमि पर देवीलाल अकेले का हक हिस्सा है।

सायल ने एक वाद इसी विषयवस्तु के साथ वाद संख्या 176/2006 इसी न्यायालय में पेश किया गया था जो लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर दिनांक 21.06.2018 को खारजी किया जा चुका है विधि अनुसार पुन इसी विषय वस्तु का कोई वाद पुनः पेश नही किया जा सकता है इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अपूर्णीय क्षति का बिन्दु गैरसायल न0 1 के पक्ष में है क्योकि उतरदाता वृद्व व्यक्ति है तथा सायल ने मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है जिसके विवाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है गैरसायल न0 1 को अपने हकों से महरूम कर रखा है तथा सायल अपने हक हिस्सा तक की भूमि पर ही स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी है अन्य के हक हिस्सा की भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नही है अर्थात देवीलाल के हक हिस्सा की भूमि पर किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है।

गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सुन्तलन एवं अपुर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायल न0 1 के पक्ष में है इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि में सायल का कितना हिस्सा होता है व कितना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 76/80 की कुल 3.542हैक रोही मौजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 38/86 की कुल 7.4000हैक व रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 70/78 की कुल 37950हैक व खाता संख्या 71/76 की कुल 1.2650हैक भूमि जो गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है अर्थात गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

सायल एवं गैरसायल न0 1 दोनो यह तथ्य तो स्वीकार करते है की वाद भूमि पैतृक सम्पति है तथा पैतृक सम्पति में सायल कितना हक हिस्सा पाने के अधिकारी है यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद में तय होगा।

सायल ने अपनी बहस में यह तथ्य तो स्वीकार किया गया है कि गैरसायल न0 1 के हक हिस्सा की भूमि पर स्थगन हटाया जाता है तो ऐतराज नही है किन्तु गैरसायन न0 1 के नाम से दर्ज भूमि में किसका कितना हिस्सा होगा यह तथ्य तो वाद में साक्ष्यों के आधार पर तय होगा वर्तमान में तो संम्भावना ही की जा सकती है।

प्रार्थना पत्र एवं सम्बंधित वाद में अंकित तथ्यों के अनुसार गैरसायल न0 1 के जायज वारिसान सायल एवं उसकी दो बहने है अर्थात गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज भूमि के चार हिस्सेदार सम्भावित है।

सायल का कथन है कि उसकी बहनों गैरसायल न0 2 ,3 ने अपने हकों का त्याग किया गया है किन्तु अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नही किया गया है जिसके अभाव में हकों का त्याग किया जाना नही माना जा सकता है अर्थात गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज भूमि के चार हिस्सेदार सम्भावित है जिसमें सायल का 1/4 हिस्सा भूमि ही पाने का अधिकारी वर्तमान में प्रतित होता है यदि गैरसायल न0 3 ,4 को अपने हक हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी

की भूमि के सम्बध में कोई विवाद है तो वह प्रथृक से प्रार्थना पत्र पेश कर सकते है हस्तगत प्रार्थना पत्र में तो किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहने के कारण किसी प्रकार अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नही है।

गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज भूमि में सायल का उपरोक्त विवेचन के अनुसार पैतृक सम्पति मानी जावे तो सायल गैरसायल न0 1 से 1/4 हिस्सा भूमि पाना सम्भावित है अर्थात गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज भूमि में अपने हक हिस्सा तक की भूमि पर स्थगन या सुरक्षित रखने की मांग कर सकता है अन्य किसी के हक हिस्सा के सम्बध में किसी प्रकार की मांग करने का अधिकार सायल को नही है।

गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज भूमि में से सायल 1/4 हिस्सा भूमि तक तो अपने हकों को सुरक्षित रखने की मांग तो कर सकता है उससे अधिक भूमि पर स्थगन कायम रखने का कोई सन्तोष जनक जबाब पेश नही किया गया है तथा स्वीकार भी किया गया है गैरसायल न0 1 के हिस्से की भूमि पर से स्थगन हटाया जाता है तो ऐतराज नही है किन्तु यह साबित नही किया की वह गैरसायल न0 2 ,3 के हक हिस्सा की मांग या किसी प्रकार का अनुतोष किसप्रकार चाहता है जबकि हस्तगत प्रार्थना पत्र में गैरसायल न0 2 ,3 उपस्थित ही नही आये है ना ही किसी प्रकार का जबाब पेश किया गया है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि सायल अपने हकों को सुरक्षित रखने के लिये न्यायालय से मांग कर सकता है अन्य के हिस्से के सम्बध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है अर्थात सायल अपने हक हिस्से तक ही स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन ,अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल से अधिक गैरसायल के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 05.11.2018 सायल हक हिस्सा तक कन्फर्म किया जाता है शेष अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है अर्थात वाद भूमि में से 1/4 हिस्सा तक अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा कन्फर्म की जाकर शेष भूमि पर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर